GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF COAL
LOK SABHA

UNSTARRED QUESTION NO. 3941
TO BE ANSWERED ON 22.12.2021

Environment and Rehabilitation Cess

3941. SHRIMATI MANJULATA MANDAL

Will the Minister of COAL be pleased to state:

whether the Government is planning to rename the cess collected from coal as "Environment and Rehabilitation Cess" and earmark 60 percent of the cess to coal bearing States and if so, the details thereof?

ANSWER

MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, COAL AND MINES
(SHRI PRALHAD JOSHI)

******

Goods and Services Tax (GST) Compensation Cess at the rate of Rs. 400 per tonne is levied on coal under the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017. There is no proposal to change the name of GST Compensation Cess on coal.

****

भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3941

जिसका उत्तर 22 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

पर्यावरण और पुनर्वास उपकर

3941. श्रीमती मंजुलता मंडल:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क्या सरकार कोयले से संगृहीत उपकर का नाम "पर्यावरण और पुनर्वास उपकर" रखने और उपकर का 60 प्रतिशत कोयला उत्पादक राज्यों के लिए निर्धारित करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को क्षति पूर्ति) अधिनियम, 2017 के अंतर्गत कोयले पर 400 रु. प्रति टन की दर से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) क्षतिपूर्ति उपकर लगाया जाता है। कोयले पर जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर का नाम बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****